सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री नन्दसिंह बनाम श्री नैनासिंह व अन्य

किस्म मुकदमा मु0न0 [illegible] सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
09-9-19	आज स्थानीय ... कार्य स्थगित रखा है। पी.ओ.सा ... पधारें हैं। ... वास्ते निय... कार्यवाही हेतु दिनांक 11-9-19 को पेश हो।	
11-9-19	वकील वादी उपस्थित। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से टाईप करवाकर मेरे हस्ताक्षर से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जस[illegible] संधू) उपखण्ड अधि[illegible] सहायक कलक्टर [illegible]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी:– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

राजस्व वाद पत्र संख्या 163/2012

श्री नन्दसिंह उम्र करीबन 50 साल पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत
निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

------वादी

ब ना म

1– श्री नैनासिंह वयस्क पुत्र श्री नाथूसिंह
2– श्रीमति सुशीला बैवा श्री भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
3– श्री शम्भूसिंह वयस्क पुत्र श्री भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
4– श्री धर्मसिंह उम्र 14 साल पुत्र श्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमति सुशीला बैवा भंवरसिंह रावत
5– श्रीमति बिदामी पुत्री मंगला जी पत्नि श्री हरलाल जी जाति रावत निवासीयान खरवा रोड भीलो का बाडिया मसूदा तहसील मसूदा
6– श्रीमति पानीदेवी बैवा किसना पुत्र बुद्धा
7– श्री भेरूसिंह
8– श्री मोहनसिंह } वयस्क पिसरान किसना पुत्र बुद्धा
9– श्री प्रतापसिंह
10– श्रीमति मंजूदेवी बैवा हीरासिंह पुत्र किसना
11– श्री जयसिंह } वयस्क पिसरान हीरासिंह पुत्र किसना जी
12– श्री हरीसिंह
13– श्री लक्ष्मणसिंह } वयस्क पिसरान श्री देवीसिंह
14– श्री किसनसिंह
15– श्रीमति रामी बैवा रामकरण पुत्र पूरा जी
16– श्री चन्द्रसिंह } वयस्क पिसरान रामकरण पुत्र पूरा जी
17– श्री गोपालसिंह
18– श्रीमति आशा वयस्क पुत्री रामकरण पुत्र पूरा जी समस्त जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
19– श्री सुखा वयस्क पुत्र श्री लाडू जी
20– श्री मोहन वयस्क पुत्र श्री नाथू
21– श्री महेन्द्र वयस्क पुत्र श्री नाथू
22– श्रीमति धन्नी बैवा नाथू जी
23– श्री शंकरसिंह वयस्क पुत्र लाडू जी
24– श्री किसनसिंह वयस्क पुत्र लाडू जी
25– श्रीमति जमनी बैवा नैनूसिंह
26– श्री पूनमसिंह वयस्क पुत्र नैनूसिंह
27– श्रीमति हीरा बैवा बिरमसिंह
28– श्री विक्रमसिंह वयस्क पुत्र श्री बिरमसिंह
29– श्री धन्नासिंह वयस्क पुत्र लालू जी
30– श्रीमति रूपी बैवा दिलीपसिंह
31– श्री प्रेमसिंह } वयस्क पिसरान दिलीपसिंह
32– श्री नैनूसिंह

....................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

33– श्री प्रताप वयस्क पुत्र श्री भोमसिंह
34– श्रीमति लक्ष्मी बैवा भोमसिंह
35– श्रीमति ललिता पुत्री भोमसिंह
समस्त जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
36– श्री मुकेश वयस्क पुत्र तेजसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
37– श्री मंगला उम्र 14 साल नाबालिग पुत्र तेजसिंह जरिये नेक्सट फ्रेन्ड बडा भाई श्री मुकेश रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
38– श्री बाबूसिंह
39– श्री पूनमसिंह } वयस्क पिसरान रामसिंह पुत्र घीसासिंह
40– श्री सुखासिंह
41– श्रीमति धूली बैवा प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र घीसासिंह
42– श्री बीरमसिंह वयस्क पुत्र प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
43– श्री टीलसिंह उर्फ टीकमसिंह वयस्क पुत्र प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
44– श्रीमति सन्जू पुत्री प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
सभी जाति रावत निवासीयान मालपुरा तहसील ब्यावर
45– श्रीमति केली वयस्क पत्नि प्रेमसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
46– श्रीमति पतासी वयस्क पत्नि श्री मंगलसिंह रावत
निवासी के0एम0कॉलोनी के सामने सेन्दडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
47– श्रीमति नैनी वयस्क पुत्री गुमानसिंह जाति रावत निवासी मांडेडा तहसील ब्यावर
48– श्री प्रेमसिंह वयस्क पुत्र श्री दिलीपसिंह रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
49– श्री राजूसिंह वयस्क पुत्र श्री मिठूसिंह रावत निवासी रामगढ झूंठा तह0 ब्यावर
50– श्री निर्मलकुमार बंसल वयस्क पुत्र श्री हेमराज जी बंसल जाति अग्रवाल
निवासी अग्रसेन कोलोनी देलवाडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
51– श्री वासुदेव मेहराणिया वयस्क पुत्र श्री रामनारायण महेराणिया जाति तेली
निवासी बिचडली मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
52– श्रीमतिरूपीदेवी वयस्क पत्नि श्रीनारायणसिंह रावत निवासी सेदरिया तह0 ब्यावर
53– श्री मोती } वयस्क पिसरान श्री भूरा जी मेहरात
54– श्री नारू } निवासी कालियावास तहसील ब्यावर
55– श्री महेन्द्र वयस्क पुत्र श्री बाबू मेहरात निवासी कालियावास तहसील ब्यावर
56– श्री सम्पतसिंह वयस्क पुत्र श्री मिठूसिंह रावत
निवासी रामगढ झूंठा तहसील ब्यावर
57– श्रीमति शांतिदेवी वयस्क पत्नि श्री मोहनसिंह जाति रावत
निवासी रामावास कांकरियो की ढाणी पी0ओ0 बूंटीवास तहसील रायपुर (पाली)
58– श्री आलमसिंह } वयस्क पिसरान श्री लाडू मेहरात
59– श्री जालमसिंह } निवासी भवानी खेडा तहसील ब्यावर
60– श्रीमति राधा वयस्क पत्नि श्री सम्पतसिंह रावत
निवासी रामगढ झूंठा तहसील ब्यावर
61– श्रीमति डाली देवी वयस्क पत्नि श्री शंकरसिंह जाति रावत
निवासी बोरवा बाडिया बंध्यिा तहसील भीम जिला–राजसमंद
62– श्रीमति कोयली देवी वयस्क पत्नि श्री महेन्द्रसिंह रावत निवासी मालपुरा
63– श्री मदनसिंह } वयस्क पिसरान स्व. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
64– श्री उमरावसिंह }

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

......................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

65– श्रीमति गीता
66– श्रीमति सीता } वयस्क पुत्रीया स्व. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
67– श्रीमति सुशीला
जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
68– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
69– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी तहसील कम्पाउण्ड, ब्यावर

––––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 11-09-2019

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा मालपुरा पटवार क्षैत्र मालपुरा तहसील ब्यावर में खाता संख्या नया 102 पुराना 131 में स्थित खसरा नंबर 599 रकबा 00–04–00, 612 रकबा 00–06–00, 613 रकबा 00–10–10, 614 रकबा 00–05–00, 615 रकबा 00–05–00, 616 रकबा 00–05–10, 617 रकबा 00–05–10, 618 रकबा 00–05–00, 619 रकबा 00–06–10, 690 रकबा 00–10–00, 691 रकबा 00–10–00, 692 रकबा 00–13–00, 693 रकबा 00–06–00, 694 रकबा 01–03–00, 695 रकबा 01–01–10, 696 रकबा 00–13–00, 697 रकबा 01–00–10, 698 रकबा 00–14–10, 712 रकबा 00–16–00, 713 रकबा 00–15–10, 714 रकबा 00–13–10, 715 रकबा 00–02–00, 716 रकबा 00–02–00, 717 रकबा 00–02–00, 718 रकबा 00–02–00, 719 रकबा 00–02–00, 720 रकबा 00–03–00, 721 रकबा 00–03–00, 722 रकबा 00–02–10, 724 रकबा 00–04–00, 725 रकबा 00–03–10, 726 रकबा 00–03–00, 727 रकबा 00–05–10, 729 रकबा 00–02–10, 730 रकबा 00–09–10, 731 रकबा 00–07–10, 733 रकबा 00–12–00, 734 रकबा 01–11–00, 735 रकबा 00–06–00, 736 रकबा 00–07–00, 737 रकबा 00–17–00, 759 रकबा 00–10–10, 761 रकबा 01–00–00, 762 रकबा 00–07–00, 763 रकबा 01–00–00, 764 रकबा 00–18–00, 765 रकबा 00–18–00, 768 रकबा 01–09–10, 769 रकबा 00–16–00, 770 रकबा 01–01–00, 771 रकबा 00–14–00, 772 रकबा 00–17–10, 773/1 रकबा 00–07–10, 775 रकबा 00–03–00, 776 रकबा 00–08–00, 777 रकबा 00–08–10, 778 रकबा 00–09–00, 779 रकबा 00–06–10, 780 रकबा 0–08–00, 781/1 रकबा 00–08–00, 782/1 रकबा 00–07–10, 783/1 रकबा 00–10–10, 784 रकबा 00–04–00, कुल रकबा 31–08–10 एंव पद संख्या 1 (ब) में अंकित हाल खसरा नंबर 756 रकबा 00–15–10, 757 रकबा 00–08–10, 758 रकबा 00–08–10, 760 रकबा 00–14–10 कुल रकबा 02–06–10 स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियो के साबिक खतौनी संख्या 31 की भूमियां कुल किता 72 रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 44 के पूर्वज सर्व श्री नसीबा पुत्र नीम्बसिह कुल 9 हिस्सो में से 1/2 हिस्से के तथा हरी पुत्र दूला 1/2 हिस्से के तथा घीसा पुत्र केशा एक हिस्से के व मिठू पुत्र नोला एक हिस्से के तथा नाथू मुतबन्ना दूला एक हिस्से के तथा मंगला व लाडू पिसरान पन्ना एक हिस्से के तथा लालू पुत्र शेरा एक हिस्से के तथा किशना पुत्र बुद्धा एक हिस्से के तथा पूरा पुत्र भीमा एक हिस्से के खातेदार काश्तकार थे जो जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में दर्ज थे । किन्तु संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में जिनका आधा हिस्सा था उसके दो

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

..................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

हिस्से और जिनके एक हिस्से थे उनके चार हिस्से दर्ज कर दिये गये और कुल हिस्से 33 गलत अंकित कर दिये गये क्योकि वादी नन्दसिंह व प्रतिवादी सुखा के दादा श्री लाडू व उनके भाई मंगला का पूर्व में एक हिस्सा दर्ज था उस सूरत में संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में चार हिस्से दर्ज किये जाने चाहिये किन्तु उनका एक ही हिस्सा दर्ज किया गया जो गलत व गैर कानूनी इन्द्राज थे और इसी कारण से 36 हिस्सो के बजाए 33 हिस्से ही दर्ज कर दिये गये। उपरोक्त हिस्सेदारो की वंशावली दावे के साथ सलग्न परिशिष्ठ (अ) में अंकित है। उक्त हिस्सेदारान में से श्री मिठू पुत्र नोला नाओलाद फोत हो चुका है, तथा उस दोरान श्री लाडू पुत्र पन्ना के द्वारा साविक खसरा नंबर 729 में से 1 बीघा व 757 चाह रकबा 3 विस्वा 10 विस्वांसी में से 1/18 हिस्सा अमरा पुत्र उमा मेरात निवासी भवानी खेडा को बेचान कर दिया। इसी प्रकार से श्रीमति झूमी बैवा लाखा का जो 1/9 हिस्सा था उसको उसने श्री कालूसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति रावत को बेचान कर दिया था। और उक्त कालूसिंह ने अपना हिस्सा श्री रामसिंह पुत्र भूरसिंह को बेचान कर दिया था। किन्तु बाद की जमावंदीयो में चार हिस्से की जगह रामसिंह पुत्र भूरसिंह के हिस्से में गलत व गैर कानूनी तरीके से 6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया हैं। उपरोक्त वर्णित मूल सहखातेदारान एंव उनके खरीददारान ने समय समय पर अपने अपने हिस्से बेचान किये जिनके इन्द्राज जमावंदी संवत 2065 से अब तक की जमाबंदीयो में दर्ज होते आ रहे है, स्व. मंगला पुत्र पन्ना व लाडू पुत्र पन्ना का कुल मिलाकर 1/9 हिस्सा था इसलिये प्रत्येक का हिस्सा 1/18–1/18 था उसमें से मंगला के वारीसान नाथू पुत्र मंगला व उसकी पुत्री बिदामी पुत्री मंगला ने उनके 1/18 हिस्से में से अपना उक्त हिस्सा वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) वर्णित भूमियां कुल 31 बीघा 8 विस्वा 10 बिस्वांसी में से अपना हिस्सा श्रीमति कोयली पत्नि महेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 62 के हक में बेचान कर दिया था। जिसके हक में दाखिल खारीज संख्या 481 खुल चुका है, उसमें केवलमात्र 1/132 हिस्सा बिदामी पुत्री मंगला का रह गया था जो उसने प्रतिवादी सुखा पुत्र लाडू को बेचान कर दिया था। जिसका दाखिल खारीज संख्या 482 दिनांक 7.5.2011 द्वारा खुलकर जमाबंदी में अमल दरामद हो चुका है। इसलिये वादग्रस्त भूमियों में मंगला के वारीसान नाथू व बिदामी का कोई हक हिस्सा नही रहा। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) में वर्णित भूमियो में श्री लाडू पुत्र पन्ना का जो कुल 9 हिस्सो में से एक हिस्से का आधा हिस्सा यानि कुल भूमि का 1/18 हिस्सा था उसमें से लाडू के पुत्र सुखा प्रतिवादी संख्या 19 ने कुल 29 बीघा 10 बिस्वा में से अपना हिस्सा यानि 1/132 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 55 श्रीमति शांतिदेवी पत्नि मोहनसिंह रावत निवासी रामावास कांकरीयो की ढाणी पो. बुटीवास तहसील रायपुर को बेचान कर दिया जिसका अमल दरामद जमाबंदी में दाखिल खारीज नंबर 442 दिनांक 30.12.2010 को हो चुका है। इसलिये उक्त भूमि में 1/132 हिस्सा तो शांतिदेवी की खातेदारी का रहा और शेष हिस्सा 1/36 में से सुखा का रहा। और सुखा ने 1/132 हिस्सा बिदामी पुत्री मंगला का खरीद किया है, इसलिये वह 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार से वादी नन्दसिंह का वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) में वर्णित भूमियो में जो कुल 1/36 हिस्सा था उसमें से खसरा नंबर 734 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी में से अपना हिस्सा श्री आलमसिंह व जालमसिंह पिसरान लाडू जाति मेरात

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

निवासी भवानीखेडा प्रतिवादी संख्या 58 व 59 को बेचान कर दिया था। वादग्रस्त भूमियो में से खसरा नंबर 734 में वादी का कोई हक हिस्सा नही रहा। किन्तु वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) में वर्णित शेष भूमियो में वादी 1/36 हिस्से का खातेदार है। इसलिये उपरोक्त भूमियो में से रामसिंह पुत्र भूरसिंह जो कि फोत हो चुका है, उसके 4 हिस्से के स्थान पर 6 हिस्से गलत दर्ज हो चुके है, जिसको वह निरस्त कराकर 4 हिस्से दर्ज करवाने व दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है। इसी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ब) में भी साबिक खसरा नंबर 757 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमियो में भी कुल 9 हिस्से थे उसमें पूर्वज सर्व श्री नसीबा पुत्र नीम्बसिह कुल 9 हिस्सो में से 1/2 हिस्से के तथा हरी पुत्र दूला 1/2 हिस्से के तथा घीसा पुत्र केशा एक हिस्से के व मिठू पुत्र नोला एक हिस्से के तथा नाथू मुतबन्ना दूला एक हिस्से के तथा मंगला व लाडू पिसरान पन्ना एक हिस्से के तथा लालू पुत्र शेरा एक हिस्से के तथा किशना पुत्र बुद्धा एक हिस्से के तथा पूरा पुत्र भीमा एक हिस्से के खातेदार काश्तकार थे जो जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में दर्ज थे। किन्तु संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में जिनका आधा हिस्सा था उसके दो हिस्से और जिनके एक हिस्से थे उनके चार हिस्से दर्ज कर दिये गये और कुल हिस्से 33 गलत अंकित कर दिये गये क्योकि वादी नन्दसिंह व प्रतिवादी सुखा के दादा श्री लाडू व उनके भाई मंगला का पूर्व में एक हिस्सा दर्ज था उस सूरत में संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में चार हिस्से दर्ज किये जाने चाहिये किन्तु उनका एक ही हिस्सा दर्ज किया गया जो गलत व गैर कानूनी इन्द्राज थे और इसी कारण से 36 हिस्सो के बजाए 33 हिस्से ही दर्ज कर दिये गये। जिसको दुरूस्त कराने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित त्रुटि के अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ब) में वर्णित भूमियो में स्व. लाडू का 1/2 हिस्सा और स्व. मंगला का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वे दोनो कुल 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे उनमें से लाडू के वारीसान वादी नन्दसिंह व प्रतिवादी सुखा का प्रत्येक का 1/36–1/36 एंव मंगला के वारीसान श्री नाथू व श्रीमति बिदामी का वादग्रस्त भूमियो में प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा रहा जबकि इस हिस्से में से नाथू का हिस्सा नही बिका है, बल्कि बदामी ने अपना 1/132 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 को बेचान कर दिया इसलिये इस भूमि में प्रतिवादी श्रीमति बिदामी पुत्री मंगला का कोई हक हिस्सा नही रहा है, तथा स्व0 नाथू का वादग्रस्त भूमि में 1/36 हिस्सा है। इसी प्रकार से लाडू के वारीसान वादी नन्दसिंह व प्रतिवादी सुखासिंह ने अपने कोई हिस्से किसी को नही बेचे इसलिये वादी नन्दसिंह का इस भूमि में 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी सुखा का 7/198 हिस्सा रहा है। जिसकी वह घोषणा कराने का अधिकारी है। उपरोक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) व 1 (ब) में जो प्रत्येक में जो 9 हिस्से थे उनमें से प्रत्येक में मिठू पुत्र नोला का 1/9 –1/9 हिस्सा रहा। जबकि मिठू पुत्र नोला नाओलाद फोत हो चुका है, इसलिये उसके हिस्से जो वादग्रस्त भूमियो में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 44 में विभक्त यानि निहित होगा उसके अनुसार वादी नन्दसिंह 1/288 व प्रतिवादी सुखा 1/288 व प्रतिवादी श्रीमति बिदामी 1/288 व नाथू के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/288 हिस्से के खातेदार हो चुके है, किन्तु अभी तक रिकार्ड में उनके हिस्से और उनके नाम दर्ज नही हुये है। इसलिये वादी उक्त हिस्से में भी दुरूस्ती कराने व उनके हिस्से का

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 67 वादग्रस्त भूमियो में अपने नाम चढे हुये हिस्सो को बिना विभाजन कराये विक्रय करते जा रहे है, और विभाजन नही होने के कारण से वे अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिये आमादा हो रहे है, जिसके कारण से आपस में विवाद होता रहता है, और झगडे फिसाद भी होते है इस कारण से वादी ने सभी प्रतिवादीगण को दिनांक 16.10.2012 को नवरात्रा स्थापना के दिन हिस्से तय कराने व उसके अनुसार विभाजन करने के लिये निवेदन किया तो उन्होने इन्कार कर दिया इस कारण से इस दावे की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) में वर्णित उपरोक्त भूमियो में से खसरा नंबर 734 को छोडकर शेष भूमियो में वादी को 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ब) में वर्णित भूमियो में से वादी को 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और तदनुसार वादी का हिस्सा उक्त दोनो भूमियो में 1/36 दर्ज किया जावे और पूर्व में जो उनके हिस्से गलत दर्ज कर दिये थे उन्हें निरस्त किया जाकर दुरूस्ती फरमाई जावे तथा उपरोक्त हिस्सो के अनुसार वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) व (ब) में वर्णित भूमि का वादी के हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाकर उसके हिस्से में आई भूमियो को वादी के पृथक पृथक खाते में दर्ज की जावे और उनका पृथक पृथक कब्जा व लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस व राजस्व अभिलेखो में भी उक्त विभाजन को दर्शाया जाकर दुरूस्ती फरमाई जावे और शेष प्रतिवादीगण का जो भी हिस्सा बनता है, उसको अलग किया जावे। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर उपरोक्त भूमियो में से जो मिठू पुत्र नोला का जो 1/9 हिस्सा वाद पत्र की चरण संख्या 1 (अ) व (ब) में चला आ रहा था जो नाऔलाद फोत हो गया उस मिठू पुत्र नोला के वादग्रस्त भूमियो में जो प्रत्येक में 1/9–1/9 हिस्सा चला आ रहा था। उस हिस्से के नसीबा पुत्र नीम्बसिंह एंव हरी पुत्र दूला, घीसा पुत्र केशा, एंव नाथू पुत्र दूला, मंगला व लाडू पिसरान पन्ना, लालू पुत्र शेरा, व किशना पुत्र बुद्धा, तथा पूरा पुत्र भीमा एंव झूमी बैवा लाखा के वारीसान का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा 1/8 हिस्सा घोषित किया जावे और उसके अनुसार वादी नन्दसिंह का 1/288 हिस्सा घोषित किया जावे तथा वादी के हिस्से में आई भूमियो उक्त मिठू पुत्र नोला के हिस्से की भूमियो में वादी के खाते में दर्ज की जावे। और तदनुसार उसका भी विभाजन किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमियो को रहन बेचान बय नही करे तथा वादी के हिस्से का बिना विभाजन कराये बेदखन नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

..................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब कि गई जिसमें वादी नन्दसिंह पुत्र लाडूसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर अपने वाद पत्रो को कथनो को दोहराते हुये दस्तावेजात प्रदर्शित कराये जिसमें प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 है, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श–2 है, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2020 से 2023 प्रदर्श–3 है, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2065 से 2068 प्रदर्श–4 है, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2065 से 2068 प्रदर्श–5 है।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वकील वादी ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजो के कथनो का निवेदन करते हुये वाद पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण ने वादग्रस्त भूमियो के विषय में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श–1 तुलनात्मक क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श–2 ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2016–19 के खाता संख्या 31 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त साबिक खसरान् कुल कित्ता 71 कुल रकबा 36–05–00 वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है जिसमें नसीबा नाबालिग वल्द नीबासिंह बसरबराही मुस्मात अज्जी वाल्दा खुद हिस्सा 1/2 हरी वल्द दूला हिस्सा 1/2 घीसा वल्द केशरा हिस्सा 1 मिठु वल्द नोला नाबालिग बसरबराही मुस्मात झूमी वाल्दा खुद हिस्सा 1 नाथू नाबालिग मुतबन्ना दूला कौम रावत बसरबराही मुस्मात देऊ वाल्दे खुद हिस्सा 1 मंगला व लाडू पिसरान पन्ना बहिस्से बराबर हिस्सा 1 लालू वल्द शेरा हिस्सा 1 किशना वल्द बुधा हिस्सा 1 मुस्मात झूमी बेवाह लाखा हिस्सा 1 पूरा वल्द भीमा हिस्सा 1 कौम रावतान साकिन देह कुल 9 हिस्सा दर्ज होना पाया गया तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण से झूमी के स्थान पर कालूसिंह वल्द सवाईसिंह अंकित होना पाया गया। प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2020–23 के खाता संख्या 29 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त साबिक खसरान् में नसीबा नाबालिगा वल्द निबा बसरबराही मुस्मात अजी वाल्दा खुदा हिस्सा 2 हरी वल्द दूला हिस्सा 2 घीसा वल्द केसरा हिस्सा 4 मिठु वल्द नोला नाबालिग बसरबराही मुस्मात झूमी वाल्दा खुद हिस्सा 4 नाथू नाबालिग मुतबना दुला बसरबराही मुस्मात देऊ वाल्दे खुद हिस्सा 4 मंगला व लाडू पिसरान पन्ना बहिस्से बराबर हिस्सा 1 लालू वल्द शेरा हिस्सा 4 किशना वल्द बुधा हिस्सा 4 पूरा वल्द भीमा हिस्सा 4 कौम रावत सा. देह व कालू वल्द सवाई सिंह कौम रावत साकिन लूलवा कौम रावत हिस्सा 4 दर्ज होना पाया गया तथा इसी जमाबन्दी में कालूसिंह वल्द सवाईसिंह ने अपना हिस्सा बेचान किये जाने से जरिए नामान्तकरण संख्या 65 के कालूसिंह वल्द सवाई के स्थान पर रामसिंह वल्द भूरसिंह का नाम स्वीकृत होना दर्ज है। प्रदर्श–4 ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 102 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त हाल खसरा नम्बरान कुल कित्ता 63 कुल रकबा 31–08–10 दर्ज है एवं अन्य सहखातेदारान के साथ मंगला वल्द पन्ना हि.1/2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि.1/2 दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 145 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 02–06–10 में अन्य सहखातेदारान के साथ मंगला वल्द पन्ना हि.1/2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि.1/2 दर्ज होना पाया।

......लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन एवं बहस पर विवेचन के आधार पर प्रदर्श–2 ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2016–19 के खाता संख्या 31 में अंकित वादग्रस्त आराजियात के साबिक खसरा नम्बरान में अन्य सहखातेदारान के साथ मंगला व लाडू पिसरान पन्ना बहिस्से बराबर हिस्सा 1 दर्ज है जो कि प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2020–23 के खाता संख्या 29 में हिस्सा 4 अंकित होना चाहिये था क्योंकि इस जमाबन्दी में अन्य सहखातेदारान के जो हिस्से बने हैं उसमें जिसका 1/2 हिस्सा था उसके 2 हिस्से लगे हैं एवं जिसके 1 हिस्सा था उसके 4 हिस्से लगे हैं। अतः जमाबन्दी संवत् 2020–23 में मंगला व लाडू पिसरान पन्ना बहिस्से बराबर 4 हिस्से होने चाहिये थे तथा कुल हिस्से 33 के स्थान पर 36 अंकित होने चाहिये जो कि नहीं किये गये हैं, परन्तु इस दौरान यदि भूमियों का बेचान किया गया हो तो हिस्सों में परिवर्तन की संभावना है। प्रदर्श–4 ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 102 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त हाल खसरा नम्बरान कुल कित्ता 63 कुल रकबा 31–08–10 दर्ज है एवं अन्य सहखातेदारान के साथ मंगला वल्द पन्ना हि.1/2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि.1/2 दर्ज है जो कि मंगला वल्द पन्ना हि.2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि. 2 दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 145 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 02–06–10 में अन्य सहखातेदारान के साथ मंगला वल्द पन्ना हि.1/2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि.1/2 दर्ज है जो कि मंगला वल्द पन्ना हि.2 सुखा नन्दा पि. लाडू हि. 2 दर्ज होना चाहिये जिसके वादी व उनके पूर्वज लाडू व मंगला वल्द पन्ना ने वादपत्र प्रस्तुति के पूर्व संवत् 2020–23 (वर्ष 1963–66) 50 वर्षो में कोई उजर एतराज नहीं किया है एवं वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात कई व्यक्तियों द्वारा छोटे–छोटे हिस्सों में बेचान की भी की जा चुकी है। इसके अलावा वादी ने अपने वादपत्र में यह कथन किए हैं कि रामसिंह पुत्र भूरसिंह के हिस्से में गलत व गैरकानूनी रूप से 6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रदर्श– 4 जमाबन्दी में कुल हिस्से 33 ही अंकित है, यहां यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किसका हिस्सा कम करके रामसिंह वल्द भूरसिंह का 4 हिस्से के बजाय 6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वादपत्र में यह भी कथन किए गए हैं कि वादग्रस्त आराजी में 1/18 हिस्सा मंगला पुत्र लाडू के वारिसान नाथू पुत्र मंगला व उसकी पुत्री बिदामी पुत्री मंगला ने उनके 1/18 हिस्से में से अपना उक्त हिस्सा कोयली पत्नि महेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 62 के हक में बेचान कर दिया था जिसका दाखिल खारिज संख्या 481 खुलना अंकित किया है एवं उसमें केवलमात्र 1/132 हिस्सा बिदामी पुत्री मंगला का रह गया था जो उसने प्रतिवादी सुखा पुत्र लाडू को बेचान कर दिया जिसका दाखिल खारिज़ संख्या 482 खुल चुका है एवं मंगला के वारिसान नाथू व बिदामी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा। चूंकि उक्त बेचान की गई भूमियों का दाखिल खारिज़ ही खुल चुका है तो बंटवारा केवल वर्तमान जमाबन्दी में दिए गए क्रेतागण के हिस्सो अनुसार ही किया जावेगा।

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वादपत्र की चरण संख्या 14 (क) में अंकित अनुतोष में वादग्रस्त भूमियों में से खसरा संख्या 734 को छोड़कर शेष भूमियों में वादी को 1/36 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने के कथन किए हैं जबकि उनके प्रस्तावित स्वयं के हिस्से अनुसार अन्य सहखातेदारान के कितने–कितने हिस्से होने चाहिये कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार 14 (ख) में अंकित अनुतोष में मिठु पुत्र नोला का जो 1/9 हिस्सा वादपत्र की चरण संख्या 1अ व 1ब में चला आ रहा था जो नाऔलाद फौत हो गया उस मिठु पुत्र नोला के वादग्रस्त भूमियों में जो प्रत्येक में 1/9–1/9 हिस्सा चला आ रहा था, उस हिस्से के नसीबा पुत्र नीम्बसिंह एवं हरी पुत्र दूला, घीसा पुत्र केशा एवं नाथू पुत्र दूला, मंगला व लाडू पिसरान पन्ना, लालू पुत्र शेरा व किशन पुत्र बुद्धा तथा पूरा पुत्र भीमा एवं झूमी बेवा लाखा के वारिसान का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित किया जाने के और उसके अनुसार वादी नन्दसिंह का 1/288 हिस्सा घोषित किये जाने तथा वादी के हिस्से में आई भूमियों उक्त मिठु पुत्र नोला के हिस्से की भूमियों में वादी के खातेदते में दर्ज किये जाने के कथन किए हैं जो कि अस्पष्ट हैं। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है कि किसकी मृत्यु कब हुई व मृतक का संबंध वादी से व अन्य सहखातेदान से किस प्रकार है एवं सम्पूर्ण हिस्सों से मिलान नहीं होता है। उक्त समस्त वादपत्र में वादी ने स्वयं के हिस्से बाबत् कथन किए हैं जो राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं करते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-09-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधु)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 12/2012

श्री नन्दसिंह उम्र करीबन 50 साल पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत
निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

------वादी

ब ना म

1– श्री नैनासिंह वयस्क पुत्र श्री नाथूसिंह
2– श्रीमति सुशीला बैवा श्री भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
3– श्री शम्भूसिंह वयस्क पुत्र श्री भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह
4– श्री धर्मसिंह उम्र 14 साल पुत्र श्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमति सुशीला बैवा भंवरसिंह रावत
5– श्रीमति बिदामी पुत्री मंगला जी पत्नि श्री हरलाल जी जाति रावत निवासीयान खरवा रोड भीलो का बाडिया मसूदा तहसील मसूदा
6– श्रीमति पानीदेवी बैवा किसना पुत्र बुद्धा
7– श्री भेरूसिंह }
8– श्री मोहनसिंह } वयस्क पिसरान किसना पुत्र बुद्धा
9– श्री प्रतापसिंह }
10– श्रीमति मंजूदेवी बैवा हीरासिंह पुत्र किसना
11– श्री जयसिंह } वयस्क पिसरान हीरासिंह पुत्र किसना जी
12– श्री हरीसिंह }
13– श्री लक्ष्मणसिंह } वयस्क पिसरान श्री देवीसिंह
14– श्री किसनसिंह }
15– श्रीमति रामी बैवा रामकरण पुत्र पूरा जी
16– श्री चन्द्रसिंह } वयस्क पिसरान रामकरण पुत्र पूरा जी
17– श्री गोपालसिंह }
18– श्रीमति आशा वयस्क पुत्री रामकरण पुत्र पूरा जी समस्त जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
19– श्री सुखा वयस्क पुत्र श्री लाडू जी
20– श्री मोहन वयस्क पुत्र श्री हरी
21– श्री महेन्द्र वयस्क पुत्र श्री नाथू
22– श्रीमति धन्नी बैवा नाथू जी
23– श्री शंकरसिंह वयस्क पुत्र लाडू जी
24– श्री किसनसिंह वयस्क पुत्र लाडू जी
25– श्रीमति जमनी बैवा नैनूसिंह
26– श्री पूनमसिंह वयस्क पुत्र नैनूसिंह
27– श्रीमति हीरा बैवा बिरमसिंह
28– श्री विक्रमसिंह वयस्क पुत्र श्री बिरमसिंह
29– श्री धन्नासिंह वयस्क पुत्र लालू जी
30– श्रीमति रूपी बैवा दिलीपसिंह
31– श्री प्रेमसिंह } वयस्क पिसरान दिलीपसिंह
32– श्री नैनूसिंह }

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

33– श्री प्रताप वयस्क पुत्र श्री भोमसिंह
34– श्रीमति लक्ष्मी बैवा भोमसिंह
35– श्रीमति ललिता पुत्री भोमसिंह
समस्त जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
36– श्री मुकेश वयस्क पुत्र तेजसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
37– श्री मंगला उम्र 14 साल नाबालिग पुत्र तेजसिंह जरिये नेक्सट फ्रेन्ड बडा भाई श्री मुकेश रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
38– श्री बाबूसिंह
39– श्री पूनमसिंह } वयस्क पिसरान रामसिंह पुत्र घीसासिंह
40– श्री सुखासिंह
41– श्रीमति धूली बैवा प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र घीसासिंह
42– श्री बीरमसिंह वयस्क पुत्र प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
43– श्री टीलसिंह उर्फ टीकमसिंह वयस्क पुत्र प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
44– श्रीमति सन्जू पुत्री प्रभूसिंह पुत्र रामसिंह
सभी जाति रावत निवासीयान मालपुरा तहसील ब्यावर
45– श्रीमति केली वयस्क पत्नि प्रेमसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
46– श्रीमति पतासी वयस्क पत्नि श्री मंगलसिंह रावत
निवासी के0एम0कॉलोनी के सामने सेन्दडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
47– श्रीमति नैनी वयस्क पुत्री गुमानसिंह जाति रावत निवासी मांडेडा तहसील ब्यावर
48– श्री प्रेमसिंह वयस्क पुत्र श्री दिलीपसिंह रावत निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर
49– श्री राजूसिंह वयस्क पुत्र श्री मिठूसिंह रावत निवासी रामगढ झूंठा तह0 ब्यावर
50– श्री निर्मलकुमार बंसल वयस्क पुत्र श्री हेमराज जी बंसल जाति अग्रवाल
निवासी अग्रसेन कोलोनी देलवाडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
51– श्री वासुदेव मेहराणिया वयस्क पुत्र श्री रामनारायण महेराणिया जाति तेली
निवासी बिचडली मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
52– श्रीमतिरूपीदेवी वयस्क पत्नि श्रीनारायणसिंह रावत निवासी सेदरिया तह0 ब्यावर
53– श्री मोती } वयस्क पिसरान श्री भूरा जी मेहरात
54– श्री नारू } निवासी कालियावास तहसील ब्यावर
55– श्री महेन्द्र वयस्क पुत्र श्री बाबू मेहरात निवासी कालियावास तहसील ब्यावर
56– श्री सम्पतसिंह वयस्क पुत्र श्री मिठूसिंह रावत
निवासी रामगढ झूंठा तहसील ब्यावर
57– श्रीमति शांतिदेवी वयस्क पत्नि श्री मोहनसिंह जाति रावत
निवासी रामावास कांकरियो की ढाणी पी0ओ0 बूंटीवास तहसील रायपुर (पाली)
58– श्री आलमसिंह } वयस्क पिसरान श्री लाडू मेहरात
59– श्री जालमसिंह } निवासी भवानी खेडा तहसील ब्यावर
60– श्रीमति राधा वयस्क पत्नि श्री सम्पतसिंह रावत
निवासी रामगढ झूंठा तहसील ब्यावर
61– श्रीमति डाली देवी वयस्क पत्नि श्री शंकरसिंह जाति रावत
निवासी बोरवा बाडिया बंध्यिा तहसील भीम जिला–राजसमंद
62– श्रीमति कोयली देवी वयस्क पत्नि श्री महेन्द्रसिंह रावत निवासी मालपुरा
63– श्री मदनसिंह } वयस्क पिसरान स्व. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
64– श्री उमरावसिंह

......................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

65– श्रीमति गीता
66– श्रीमति सीता } वयस्क पुत्रीया स्व. रामसिंह पुत्र भूरसिंह
67– श्रीमति सुशीला
जाति रावतान निवासीयान गांव मालपुरा तहसील ब्यावर
68– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
69– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी तहसील कम्पाउण्ड, ब्यावर
––––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी..................मिनजामिन मुददई रूबरू..................मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन

निजी..................मुबलिक..................बाबत................खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-09-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
सहायक कलेक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(जसमीत सिंह संधू)
(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
सहायक कलेक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 15:12:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: